

ख. अन्य कर्मचारी

क्र.सं	पद	मंजूर किए गए पदों की सं.	पदासीन कर्मचारी (संख्यांक)			रिक्त पद	तर्द्ध आधार पर/संविदा के आधार पर कर्मचारी	टिप्पणियां
			पुरुष	महिला	कुल			

7. कारागार में इस समय रह रहे संवासियों की क्षमता और संख्यांक

कारागार सं.	बैरकों/कमरों की कुल संख्या	प्राधिकृत क्षमता	महिलाओं के लिए चिह्नित बैरकों/कक्षों की संख्या	महिलाओं के लिए कुल प्राधिकृत क्षमता	वास्तविक संवासियों की सं.		
					पुरुष	महिला	कुल
कारागार सं.1							
कारागार सं.2							
कारागार सं.3							
कारागार सं.4							
कारागार सं.5							
कारागार सं.6							
कारागार सं.7							
कारागार सं.8							
कारागार सं.9							

8. स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं:

(कारागार में ही/सरकारी अस्पताल और अन्यो की साथ जुड़ाव)

चिकित्सा सुविधाएं	कार्मिकों की सं.				उपलब्धता की अवधि*			
	जीडीएमओ	विशेषज्ञ	नर्सिंग कर्मचारी	अन्य पराचिकित्सीय कर्मचारी	जीडीएमओ	विशेषज्ञ	नर्सिंग कर्मचारी	अन्य पराचिकित्सीय कर्मचारी
अस्पताल								
स्वास्थ्य केन्द्र/औषधालय								
केवल डाक्टर								

*उपलब्धता 24घंटे/12 घंटे/6घंटे

9. चार दीवारी/बाड़

मापदंड	विद्यमान है (हां/नहीं)	ऊंचाई/चौड़ाई	स्थिति*
चारदीवारी/बाड़/दीवार			
अंदर की तरफ बाड़			

*अच्छा/औसत/खराब

**चारदीवारी के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा उपाय

10. गतिरोध दूरी

मापदंड	चौड़ाई	सभी निरुद्ध क्षेत्रों के चारों तरफ	स्थिति*
गतिरोध दूरी**			

*अच्छा/औसत/खराब

**स्क्रीन नहीं लगे हुए यानों/भवन से व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने की दूरी

11. गार्ड टावर/पार्किंग

मापदंड	संख्या	दृष्टि क्षेत्र	उपयोग में है/उपयोग में नहीं हैं	स्थिति*
गार्ड टावर				
पार्किंग**				

*अच्छा/औसत/खराब

** यानों की संख्या

12. ऊर्जा के स्रोत

स्रोत	पूरी हुई कुल अपेक्षा की प्रतिशतता	घंटो की अवधि में उपलब्धता	गुणवत्ता*	टिप्पणियां
विद्युत				
सोलर				
वायु				
अन्य				

*नियमित/अस्थिर प्रदाय

13. अपशिष्ट निपटान

विनिर्दिष्ट	निपटाए गए कुल अपशिष्ट की प्रतिशतता	अलग-अलग किया गया/अलग-अलग नहीं किया गया	टिप्पणियां
स्थल से हटाया गया			
जलाया गया			
गाड़ा गया			
खाद बनाई गई			
ढेर			
पुनः चक्रित			

भाग-II: केवल महिला संवासियों से संबंधित जानकारी

[जेल प्राधिकारियों द्वारा भरा जाएगा और निरीक्षण दल द्वारा सत्यापित किया जाएगा]

14. विद्यमान भारसाधक, महिला कैदी(कैदियों) की विशिष्टियां:

नाम: _____

पदनाम: _____

तैनाती की तारीख: _____

15. महिला वार्डन/मैट्रन के ब्यौरे:

क्रम सं.	महिला वार्डन/मैट्रन का नाम	इयूटी के घंटे

16. बैरक/शयनागार/कक्ष/कोठरी

वर्णन (ईकाई)	प्रत्येक ईकाई का क्षेत्रफल(वर्ग फुट)	संवासियों की सं	
		क्षमता	वास्तविक
बैरक			
1			
2			
3			
शयनागार			
1			
2			
3			

एकल कक्ष			
1			
2			
3			
कोठरी			
1			
2			
3			
अन्य (विनिर्दिष्ट)			
1			
2			
3			

17. सोने की व्यवस्था

प्रकार	संख्या		स्थिति				टिप्पणियां
	उपलब्ध	कब्जा किया हुआ	प्रतिव्यक्ति प्राधिकृत स्थान	प्रतिव्यक्ति उपलब्ध स्थान	गुणवत्ता*	उपयोग की सरलता**	
अकेला पलंग/बर्थ							
2 स्तरीय बंक्स							
3 स्तरीय बंक्स							
फर्श पर							
कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करे)							

*बिस्तर की गुणवत्ता:अच्छा/औसत/खराब

** आसान/औसत/बंकों की ऊचाई के निबन्धनों के अनुसार कठिन, यदि लागू होता है

18. दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति

अनुलग्नक की प्रकृति	दरवाजे			खिड़कियां			वायुसंचालन पर्याप्त/अपर्याप्त	टिप्पणियां
	आकार (ऊचाईxचौड़ाई)	संख्या	कुल मिलाकर स्थिति*	आकार (ऊचाईx चौड़ाई)	संख्या	कुल मिलाकर स्थिति*		
बैरक 1								
बैरक 2								
शयनागार 1								
शयनागार 2								
कक्ष 1								
कक्ष 2								
कोठरी 1								
कोठरी 2								
अकेला रखने की कोठरी								

*निर्धारण: संख्या, कार्यात्मकता/घिराव की सफाई और उपलब्धता/खिड़की का शीशा/सिटकनी के निबंधनों के अनुसार अच्छा/औसत/खराब

19. उपलब्ध बाड़े

बाड़े का विनिर्देश	उपयोग/क्रियाकलाप	महिला संवासियों के लिए अनन्य रूप से उपलब्ध है या नहीं	क्षेत्र		उपयोग के अनुसार स्थल की पर्याप्तता	स्थिति*
			ढका हुआ	खुला		

बाड़ा 1						
बाड़ा 2						
बाड़ा 3						

* स्वच्छता/सफाई/सूर्य की रोशनी/आने जाने की जगह के निबंधनों के अनुसार अच्छा/औसत/खराब

20. कारागार की शाक वाटिका

विनिर्देश	क्षेत्रफल	पर्याप्तता*	स्थिति/टिप्पणियां
वाटिका 1			
वाटिका 2			
वाटिका 3			
वाटिका 4			

* कारागार संवासियों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के निबंधनों के अनुसार

21. शौचालय/स्नानागार

विनिर्देश	क्षेत्रफल और ऊंचाई	उपयोग कर रहे संवासियों की सं.	स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था (संख्या)				जल उपलब्धता**	जल निकासी*	गर्म पानी की उपलब्धता	कुल मिला कर (ब्यौरे विनिर्दिष्ट करे)
			शौचालय की शीट***	वाश बेसिन	शावर	नल				
शौचालय 1										
शौचालय 2										
शौचालय 3										
स्नानागार 1										
स्नानागार 2										
स्नानागार										

3										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*जलनिकासी: विनिर्दिष्ट करें (i) आसानी से हो रही है/(ii) आसानी से नहीं हो रही/(ii) बंद पड़ी है

** विनिर्दिष्ट (1) 24 घंटे/(2) 12-24 घंटे/ (3) निर्बंधित/(4) अनियमित

*** विनिर्दिष्ट (1) सिस्टर्न फलश/ (2) पानी डाल कर फलश करना

22. मलजल प्रणाली

प्रकार*	कार्यात्मक स्थिति*				टिप्पणियां**
	ढका हुआ	ढका हुआ नहीं है	आसानी से	बंद है/पानी बाहर बह रहा है	
सावर्जनिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है					
स्तर पर जलमल उपचार संयंत्र					
सेप्टिक टैंक					
गड्ढे शौचालय					

*सुसंगत स्तंभ पर सही का निशान लगाये

**सड़ रहा है/बदबू आ रही है

23. रसोई/खाना बनाने का स्थान

रसोई का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट में):

विशिष्टियां	उपलब्ध है/उपलब्ध नहीं है	पर्याप्त/अपर्याप्त	स्थिति/टिप्पणियां
वायु संचालन			
शीतागार			
प्रशीतित भंडार			
सूखे खाद्य का भंडारण			
धुलाई/सफाई के लिए उपलब्ध जल			
सुरक्षित पानी पीने का जल			

ईंधन उपलब्धता (पाइप/सिलेंडर/गैस/अन्य)			
रसोई से जलनिकासी			
रसोई कर्मचारियों के लिए शौचालय			

24. रसोई घर के कर्मचारी

मंजूर पद	पद धारण कर रहे कर्मचारी	रसोईघर में कार्यरत कारागार संवासियों की सं.	टिप्पणियां

25. मुलाकातियों के लिए सुविधा

उपलब्ध है/उपलब्ध नहीं है उपदर्शित करें:

विनिर्देश**	हां/नहीं	पर्याप्त/अपर्याप्त	टिप्पणियां*
मिलने का समय विनिर्दिष्ट			
निजता के साथ अनन्य संलग्न विनिर्दिष्ट करें			
सामान्य संलग्न विनिर्दिष्ट करें			
बाहर का क्षेत्रफल भी विनिर्दिष्ट करें			
संपर्क इतर सुविधा			

*सफाई/फर्नीचर की उपलब्धता **यदि लागू नहीं होता है तो एनए लिखें

26. सामान्य क्षेत्रफल

विनिर्देश	उपलब्ध है/उपलब्ध नहीं है	क्षेत्रफल	पर्याप्त है/अपर्याप्त है*	टिप्पणियां
कक्षा				
कार्यशाला/व्यवसायिक				

प्रशिक्षण केन्द्र				
पुस्तकालय				
मनोरंजन कक्ष				
भीतरी खेल सुविधा				
योग/ध्यान के लिए स्थान				
प्रार्थना कक्ष				
बालगृह				
विद्यालय				
बाह्य खेल के मैदान				

* अवसंरचना की पर्याप्तता और उपयुक्तता के निबंधनों के अनुसार, मानव संसाधन और उपयोग की सीमा

27. कुल मिलाकर वार्डों में स्वच्छता

विनिर्देश	टिप्पणियां (तीव्रता)
मच्छर	
कीट	
चूहे/मूषक	
धूल/मिट्टी	
रूका हुआ पानी	

28. बच निकलना और हिंसा


पिछले तीन वर्षों के दौरान बच निकलना		बच निकलने के लिए किए गए प्रयास		हिंसा	
वर्ष*	संख्या.	वर्ष*	सं.	वर्ष*	सं.
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	

* 1- चालू वर्ष; 2- पूर्व वर्ष; 3 – पूर्व वर्ष से पूर्व वर्ष

29. संरचनात्मक स्थिति

विनिर्देश	स्थिति*	टिप्पणियां
दीवारें और नींव		
दीवारों पर रोगन/प्लास्टर		
दीवारों/दीवारों से रिसाव हो रहा है/जर्जर दीवारों पर दरारें		
छत की स्थिति		
फर्श की स्थिति		

* निर्माण और अनुरक्षण के निबंधनों के अनुसार अच्छा/औसत/खराब



भाग-III: महिला संवासियों के ब्यौरे

[कारागार प्राधिकारियों द्वारा भरा जाएगा और निरीक्षण दल द्वारा सत्यापित किया जाएगा]

30. महिला संवासियों के वर्ग

वर्ग	संख्या
विचारण के अधीन	
सिद्धदोष	
निरुद्ध	
परोल पर	
कुल	

31. विचारण के अधीन के निरोध की अवधि

अपराध की प्रकृति	कारागार में गुजारी गई अवधि					
	0-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5-10 वर्ष	10-15 वर्ष	15 वर्ष और उससे अधिक	कुल
दहेज/घरेलू हिंसा						
हत्या						
व्यपहरण/अपहरण						
चोरी/लूट						
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 के अधीन अपराध						
स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन अपराध						
लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, अधिनियम 2011						
जेब काटना						
अन्य भारतीय दंड संहिता के अपराध						
अन्य दांडिक अपराध						
कुल						

32. सिद्धदोष महिला के निरोध की अवधि

अपराध की प्रकृति	कारागार में गुजारी गई अवधि					
	0-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5-10 वर्ष	10-15 वर्ष	15 वर्ष और उससे अधिक	कुल
दहेज/घरेलू हिंसा						
हत्या						
व्यपहरण/अपहरण						
चोरी/लूट						
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 के अधीन अपराध						
स्वापक ओषधि और मन प्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन अपराध						
लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, अधिनियम 2011						
जेब काटना						
अन्य भारतीय दंड संहिता के अपराध						
अन्य दांडिक अपराध						
कुल						

33. राष्ट्रियता

राष्ट्रीयता	भारतीय (अनिवासी भारतीय से भिन्न)	अनिवासी भारतीय	विदेशी	कुल
सं.				

34. आयु प्रोफाइल

आयु समूह	18-34	35-44	45-59	60 से अधिक
सं.				

35. वैवाहिक स्थिति

स्थिति	अविवाहित	विवाहित	विवाह-विच्छेद	अन्य
सं.				

36. शैक्षणिक प्रोफाइल

शिक्षा	निराक्षर	पढ़ और लिख सकती है	प्राथमिक	मिडिल	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	स्नातक और उच्चतर
सं.							

37. उपजीविका स्थिति

स्थिति	गृहणी	वृत्तिक/स्व-नियोजित	सरकारी सेवा	प्राइवेट सेवा	अन्य
सं.					

38. चिकित्सा दशा/दशाओं के साथ महिला संवासी

स्थिति	गर्भवती	दूध पिलानी वाली	शारीरिक रूप से अशक्त	मानसिक रूप से अशक्त	टीबी	एचआईवी/एआईडीएस	अन्य
सं.							
प्रवेश के समय से स्वास्थ्य कार्ड/अभिलेख बनाए रखा गया है और उसे अद्यतन किया गया है(हां/नहीं)							
टीकाकरण*							
औषधियां*							
विशेष खाना*							
प्रदान की गई विशेष सुविधाएं यदि कोई हैं, तो उन्हें विनिर्दिष्ट करें							

* यदि उपर्युक्त प्रदान किए गए हैं तो विनिर्दिष्ट करें कि कहां और कब आवश्यकता थी

39. महिला संवासियों के साथ रहने वाले बच्चों के लिए सुविधाएं

बच्चों की सं.	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2 वर्ष और उससे ऊपर	बाल-सुविधाएं (ए/एन)*	पूर्व-स्कूल सुविधाएं (ए/एन)*

*ए- उपलब्ध एन- अनुपलब्ध

40. पिछले एक वर्ष के दौरान लगाये गए टीके

अवधि	दिए गए टीकों के नाम	सम्मिलित बच्चों की सं.	महिलाओं की सं. जो इसमें सम्मिलित है

41. 10 बजे अपराह्न से लेकर और 5 पूर्वाह्न के बीच रात्रि में किया गया उपचार

अवधि	सूचित मामलों की सं.		कारागार डाक्टर या चिकित्सीय कर्मचारी द्वारा किए गए उपचार की सं.		अस्पताल ले जाए जाने की सं.	
	महिला	बच्चे	महिला	बच्चे	महिला	बच्चे
जनवरी से मार्च						
अप्रैल से जून						
जुलाई से सितंबर						
अक्टूबर से दिसंबर						

42. महिलाओं की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिकों की व्यवस्था

वर्ग	उपलब्ध है/उपलब्ध नहीं है	सं.
स्त्रीरोग विशेषज्ञ		
मनोरोग चिकित्सक		
सामाजिक कार्यकर्ता/मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता		
महिला नर्स		

मनोवैज्ञानिक		
आपातकालीन चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा		

43. संवासियों को टायलेटरीज प्रदान करना

मद	विहित		टिप्पणियां*
	मात्रा	प्रायिकता	
साबुन			
सैंपू			
टूथपेस्ट			
ब्रश			
सेनेटरी पेड			

* विनिर्दिष्ट करें: (i) अच्छा/समाधानप्रद/खराब क्वालिटी के निबंधनों के अनुसार (ii) समय पर और (iii) यथाविहित के अनुसार प्रदान किया गया है या नहीं

44. शिकायतों के पांच मुख्य क्षेत्र


शिकायत की प्रकृति (ऊपर से आरंभ होकर घटते क्रम में)	पिछले एक वर्ष के दौरान शिकायतों की सं.	
	प्राप्त	निपटारा किया गया

45. कौशल विकास

कार्यक्रम	अवधि	पिछले एक वर्ष में प्रशिक्षित संवासियों की सं.	प्रमाणीकरण अभिकरण

46. कार्यरत सिविल सोसाइटी/गैर-सरकारी संगठन

क्रम सं.	संगठन का नाम	प्रदान की जाने वाली सेवाएं	अवधि	अनुसूची



भाग-IV: महिला संवासियों से संबंधित गुणात्मक जानकारी

1.	कारागार में प्रवेश के समय महिला संवासी से जो समान लिया गया था उसका उचित रूप से दस्तावेजीकरण किया गया है या नहीं?	
2.	इस प्रकार जो वस्तुएँ महिला संवासी से ली गई थी उनके संबंध में उसे उसके रिहा होने के समय पर उसे वापस देने के अधिकार के बारे में बताया गया है या नहीं?	
3.	क्या प्रवेश के समय महिला संवासी के व्यक्तिगत ब्यौरे जैसे कि नाम, पता, पिता/माता/पति का नाम से संबंधित व्यक्तिगत ब्यौरे अभिलिखित किए गए थे?	
4.	क्या किसी अर्हित महिला स्वास्थ्य व्यासायिक द्वारा महिला संवासी का आरंभिक स्वास्थ्य मूल्यांकन/स्क्रीनिंग की गई थी और उसे अभिलेख पर लाया गया था?	
5.	क्या स्वास्थ्य मूल्यांकन जिसमें संवासियों की विशेष आवश्यकताएं शामिल हैं उन्हें अभिलेख पर लाया गया है?	
6.	क्या महिला संवासियों के बारे में एकत्रित की गई गुप्त जानकारी की निजता को बनाए रखने की कोई प्रणाली है या नहीं और इसके बारे में जानकारी केवल आवश्यकता के आधार पर सांझा की जा सकती है?	
7.	क्या संवासियों को जिन तैनात कर्मचारियों को सौंपा गया है वे महिला संवासियों को संभालने में प्रशिक्षित हैं क्योंकि ऐसी महिला संवासी चिंतित, संकट या सहयोग नहीं कर सकती है?	
8.	क्या महिला संवासियों की दुर्बलता का निर्धारण करने की पद्धति विद्यमान है और यदि हां तो क्या यह पर्याप्त है?	
9.	क्या महिला संवासी की दुर्बलता का निर्धारण करने से पहले उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रणाली विद्यमान है?	
10.	जोखिम, सुरक्षा के लिए धमकी, फरार होने का जोखिम और क्रमांकित निर्बंधनों के स्तर अधिरोपित करने से संबंधित अन्य बातों के आधार पर संवासियों की सुरक्षा जोखिम का सही निर्धारण करने के लिए कोई पारदर्शी और उद्देश्यात्मक पद्धति विद्यमान है ?	
11.	क्या संवासियों को फरार होने या फरार होने का प्रयास करने से संबंधित परिणामों की जानकारी दे दी गई है?	

12.	क्या महिला संवासियों को उनके अधिकारों बाध्यताओं और नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कोई रचित और व्यापक पद्धति है और उसका अभिलेख रखा गया है या नहीं?	
13.	महिला संवासियों को पेरोल/माफी के उपबंधों को जानकारी दी गई है या नहीं और ऐसे उपबंधों से वे कैसे फायदा उठा सकती है? विनिर्दिष्ट करें हां/नहीं	
14.	क्या महिला संवासियों को उन्हें विधि के अधीन उपलब्ध जमानत/अपील/प्रतिरक्षा के विकल्पों के बारे में और इनके संबंध में कैसे कार्यवाही की जाती है की जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई गई है या नहीं?	
15.	क्या महिला संवासियों के प्रवेश करने के दो या तीन दिन के भीतर औपचारिक आगमन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और नए संवासियों को आवश्यकताओं, नियमों, उपलब्ध सुविधाएं आदि के संबंध में अवगत कराया गया है या नहीं?	
16.	निरक्षर महिला संवासियों की दशा में क्या ऐसी कोई पद्धति विद्यमान है जो उन्हें उनके अधिकारों, बाध्यताओं और नियम के बारे में उचित रूप से खुलासा कर सकें ?	
17.	क्या नई महिला संवासियों को विशेष रूप से नवयुवतियों को, प्रवेश की प्रक्रिया के लिए, अलग से संभाला जा रहा है या नहीं?	
18.	क्या महिला संवासियों को इस बात से अवगत कराया गया है या नहीं कि उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे प्रवेश करने के पश्चात् स्वास्थ्य से संबंधित विचार्य-विषय को प्रकट करें?	
19.	क्या ऐसी महिला संवासियों को जिनको संभवतया मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोग है उनका मूल्यांकन करने के लिए अर्हित मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायी के पास भेजा गया है या नहीं?	
20.	क्या ऐसी महिला संवासियों जिनकी पहचान संभवतया स्वयं को आहत करने या आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के रूप में की गई है और उन्हें अलग वातावरण में रखा गया है और नियमित रूप से उनकी दशा का पुनर्विलोकन किया जाता है नहीं?	
21.	क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसमें ऐसी नौजवान महिला संवासियों को जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है उन्हें अपराध करने से बचाने के लिए अलग वाससुविधा है या नहीं?	

22.	क्या महिला संवासियों को परीक्षण के दौरान पता चली किसी बीमारी या चिकित्सा दशा से अवगत कराया गया है या नहीं?	
23.	क्या ऐसी कोई प्रणाली विद्यमान है जिससे कारागार में प्रवेश करते ही महिला संवासियों के परिवारों को सूचित किया जा सके?	
24.	विदेशियों की दशा में, क्या ऐसी कोई प्रणाली विद्यमान है जिससे काउन्सेलर और अन्य अभिकरणों के माध्यम से क्रमशः सरकारों को सूचित किया जा सके?	
25.	क्या ऐसी कोई व्यवस्था विद्यमान है जिससे ऐसी महिला संवासियों को जिनका कोई आपराधिक विगत इतिहास नहीं है ऐसी निरूद्ध/विचारण के अधीन महिलाओं को अन्य संवासियों से अलग रखने की व्यवस्था है या नहीं?	
26.	क्या निरूद्ध/विचारण के अधीन महिला संवासियों को अपेक्षित विधिक सहायता प्रदान की जाती है या नहीं?	
27.	क्या निरूद्ध/विचारण के अधीन महिला संवासियों को उनके मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है या नहीं?	
28.	क्या कारागार में ऐसी संवासियों के लिए जिनकी विशेष आवश्यकताओं के साथ देखभाल करना अपेक्षित है ऐसी सुविधाएं हैं या नहीं?	
29.	क्या ऐसी महिला संवासियों के लिए जो न्यायालय में हाजिर होने के लिए जाती हैं उन्हें खाना प्रदान करने की व्यवस्था है या नहीं?	
30.	क्या न्यायालय में किसी व्यक्ति के हाजिर होने से बचने के लिए वीडियो-कान्फ्रेंसिंग की सुविधा है या नहीं?	
31.	क्या ऐसी कोई पद्धति विद्यमान है जिससे ऐसी महिला संवासी जो निरूद्ध/विचारण के अधीन हैं उन्हें जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए सहायता मिल सके जिससे कि वे आत्यंतिक रूप से आवश्यक अवधि के परे कारागार में न रह सके?	
32.	क्या ऐसी कोई पद्धति है जिसके अनुसार किसी संवासी की रिहाई पर उसे तुरन्त विधिक दस्तावेज, नकदी और सम्पत्ति निर्माचित की जा सके?	
33.	क्या निरूद्ध/विचारण के अधीन महिला संवासियों को अत्यावश्यक मुद्दों, जैसे कि आश्रितों, पालतू पशु या संपत्ति मामलों के लिए व्यवस्था, को हल करने के लिए सहायता दी जाती है या नहीं?	

34.	क्या ऐसी कोई प्रक्रिया विद्यमान है जो यह सुनिश्चित करती हो कि महिला संवासियों को डराया-धमकाया नहीं जाएगा	
35.	यदि आवश्यक हो तो क्या महिला संवासियों के लिए मादक द्रव्य और शराब छुड़ाने के लिए सुविधा प्रदान की गई है या नहीं?	
36.	क्या महिला संवासियों को रिहा करने की तारीख का अवधारण सही किया गया है और इस बारे में संवासियों को संसूचित किय गया है या नहीं?	
37.	क्या कोई संवेदनशील कार्यक्रम विद्यमान है जिससे महिला संवासियों की गरिमा को सुनिश्चित करने के कारागार के कर्मचारी संवेदीग्राही हो और उनको सहानुभूति दर्शित करते हो और ऐसा कार्यक्रम अक्सर कब आयोजित किए जाते हैं ?	
38.	कारागार प्राधिकारियों की सहायता से पिछले एक वर्ष के दौरान उन महिला संवासियों की संख्या जिन्हें काउन्सेल प्रदान किए गए हैं और इस प्रकार प्रदान किए गए काउन्सेलों के व्यवसाय के वर्षों की औसत संख्या।	
39.	कारागार प्राधिकारियों की सहायता से अभिप्राप्त काउन्सेलों की बाबत महिला संवासियों के समाधान स्तर का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है या नहीं?	
40.	यदि निर्धारण किया गया है तो, प्रदान किए गए काउन्सेल की सेवा के बारे में महिला संवासियों के समाधान के औसत स्तर का उल्लेख करें।	
41.	संवासियों के लिए कानूनी सहायता जागरूकता के शिविर आयोजित किए गए हैं या नहीं? यदि हां तो पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शिविरों के ब्यौरे दें।	
41(क)	उपदर्शित करें कि विधिक सहायता प्रदान कराने के लिए एसएलएसए/डीएसएलए सहयोगी रहा है या नहीं	
42.	क्या महिलाओं के लिए मनोरंजन क्रियाकलापों, खेलों आदि के लिए अलग सुविधाएं हैं?	
43.	महिला संवासी अलग बैरक/भवन में परिरूद्ध हैं या नहीं और सुनिश्चित किया गया है कि नियमों के अधीन अनुज्ञेय सीमा के सिवाय कोई भी पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकता है? (हां/नहीं)	
44.	क्या महिला संवासियों की कोठरी/वाससुविधा का इस प्रकार निर्माण किया गया है कि पुरुष संवासियों द्वारा उन्हीं उत्पीडित	

	नहीं किया जा सकता हो?	
45.	क्या पुरुषों की महिला अहाते में प्रवेश, गतिविधि और निकास को नियंत्रित करने के लिए को विश्वसनीय व्यवस्था है या नहीं ?	
46.	क्या यह सुनिश्चित है कि कारागार के पुरुष कर्मचारी किसी महिला संवासी को स्पर्श/दंडित/गाली देना/अपमान तो नहीं करते है और नियमों द्वारा अनुज्ञात सीमा के सिवाय महिला संवासी का उनके साथ कोई संपर्क नहीं होता है? (हां/नहीं)	
47.	महिला संवासियों के शरीर की तलाशी, उन्हें कम असुविधा कारित किए बिना उनकी गरिमा का उचित सम्मान करते हुए, केवल महिला कर्मचारियों द्वारा ली जाती है या नहीं?	
48.	यदि महिला संवासियों को परोसे गए खाने की क्वालिटी समाधानप्रद नहीं है या उन्हें खाने की पर्याप्त मात्रा नहीं दी गई है या उनके पास खाने की बाबत कोई अन्य शिकायतें हैं तो क्या उनके द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान है या नहीं?	
49.	क्या यह प्रणाली महिला संवासी की शनाख्त को प्रकट किए बिना शिकायतों को दर्ज करने के लिए अनुज्ञात करती है या नहीं?	
50.	क्या उच्च कारागार प्राधिकारियों तक महिला संवासियों की शिकायतें सुनने और उन्हें हल करने के लिए, पहुंच है या नहीं?	
51.	क्या कारागार में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं, स्वास्थ्य संबंधी दशा, सफाई व्यवस्था और सफाई, शिकायत उपचार प्रक्रिया का क्रियान्वयन, कारागार कर्मचारियों का व्यवहार पर महिला संवासियों से अनाम फीडबैक अभिप्राप्त करने की पद्धति है या नहीं जिससे इसकी बाबत उनके समाधान स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। (हां/नहीं)	
52.	क्या कारागार प्राधिकारियों या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा लोक शिकायत प्रतितोष की बाबत फीडबैक लिया जाता है या नहीं?	
53.	यदि फीडबैक लिया गया था, महिला संवासियों की प्रतिशतता के निबंधनों के अनुसार औसत समाधान क्या था?	
54.	क्या कर्मचारियों, गैर-सरकारी संगठन, संवासियों और निजी मुलाकाती के आचरण के लिए लिखित संहिता हैं क्या इन्हें प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया है?	

55.	क्या संवासियों के परिवार के मुलाकाती ने उत्पीड़न या अपमानित करने के व्यवहार के बारे में शिकायत करने की कोई घटना है ऐसे मामलों में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए?	
56.	क्या महिला संवासियों और बच्चों को, जो ऐसी सुविधाओं को लेने के लिए हितबद्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं तक पहुंच उपलब्ध है या नहीं?	
57.	क्या महिला संवासियों के बच्चों के लिए बालगृह सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं? क्या ऐसी सुविधा युक्तियुक्त रूप से अच्छी है या सुविधाओं में पर्याप्त कमी है या ऐसी सुविधा विद्यमान नहीं है? विनिर्दिष्ट करें।	
58.	क्या कारागार महिला संवासियों के बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं?	
59.	बच्चों की उचित शिक्षा के लिए किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है? (प्ले स्कूल/स्कूल आदि की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	
60.	क्या बच्चों को उनके उचित वर्धन और विकास के लिए कारागार से बाहर के संसार से परिचित कराने के लिए कोई व्यवस्था विद्यमान है या नहीं?	
61.	बाहरी संसार से परिचित होने के लिए विद्यमान व्यवस्था के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।	
62.	क्या नियमित अन्तराल पर महिला संवासियों और बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं यदि हां तो ऐसी सुविधाओं के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।	
63.	क्या कारागार संवासियों के बच्चों के लिए पर्याप्त खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं और इन सुविधाओं तक उनकी निर्बाध और आसान पहुंच है या नहीं?	
64.	खेलों के लिए विद्यमान सुविधाओं के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।	
65.	क्या महिला संवासियों को अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों के साथ, अपने तनाव के स्तर को कम करने और मनःस्थिति वर्धन/मानसिक रूप से उत्थान के लिए, नियमित रूप से बातचीत करने दी जाती है या नहीं?	
66.	क्या कारागार प्राधिकारी कारागार से महिलाओं के रिहा हो जाने के पश्चात् उनकी दशा के बारे में कोई अभिलेख रखते हैं या नहीं? (हां/नहीं विनिर्दिष्ट करें)	
67.	क्या महिला संवासियों को कारागार प्राधिकारियों के पास उपलब्ध कल्याण निधि की जानकारी है या नहीं और इससे वे	

	कैसे फायदा प्राप्त कर सकती है?	
68.	क्या संवासियों के लिए वयस्क साक्षरता कक्षाएं आयोजित की जाती है या नहीं? यदि हां तो पिछले तीन वर्ष के ब्यौरे दें।	
69.	सामान्य रूप से निरीक्षण के समय महिला संवासियों की पोशाक साफ-सुथरी और अच्छी दशा में होती है या नहीं, हां/नहीं विनिर्दिष्ट करें।	
70.	क्या कारागार के कर्मचारियों ने महिला संवासियों के व्यवहार और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी विकसित की है जिससे वे आवश्यक सुरक्षा और सुधारात्मक कार्यवाहियां कर सके?	
71.	क्या महिला संवासियों के मामले में किसी प्रभावी घटना प्रतिक्रिया योजना की सुविधा है और ऐसी घटनाओं को संभालने के लिए कर्मचारी उचित रूप से प्रशिक्षित हैं?	
72.	क्या इस पद्धति में आपातकालीन योजना जिसमें कारागार खाली कराने की योजना और कोई अनुमोदित अग्नि निवारण पद्धति और खतरे का संकेत है या नहीं?	
73.	क्या आपातकालीन उपकरण और प्रणाली आसानी से पहुंच के भीतर है, उनका नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है और जहां आवश्यक हो वहां उनको बदला जाता है?	
74.	क्या महिला संवासियों और बच्चों को प्रदान किया जा रहा खाना अधिकथित मानदंड के अनुसार है या नहीं?	
75.	क्या परोसे जाने वाला नाश्ता/खाने का मैनुयु मानकीकृत है और संवासियों को पहले ही बताया जाता है या नहीं?	
76.	किसी सामान्य दिन पर महिला संवासियों को दिया जाने वाला खाने/नाश्ते का विशिष्ट मैनुयु क्या है? नाश्ता दोपहर का खाना संध्या चाय रात्रि का खाना	
77.	क्या बच्चों के लिए तैयार किया गया नाश्ता/खाना कारागार के अन्य संवासियों जैसा ही है या अलग है, यदि अलग है तो क्या पैरामीटर अपनाए गए हैं?	

78.	<p>किसी सामान्य दिन पर महिला संवासियों को दिया जाने वाला खाने/नाश्ते का विशिष्ट मैन्यु क्या है?</p> <p>नाश्ता</p> <p>दोपहर का खाना</p> <p>संध्या चाय</p> <p>रात्रि का खाना</p>	
79.	<p>क्या खाने को परोसने से पहले कोई गुणवत्ता जांच की जाती है या नहीं? यदि हां तो किस प्रोटोकाल का पालन किया जाता है और किस प्राधिकारी द्वारा?</p>	
80.	<p>निरीक्षण के दिन खाने की क्वालिटी पर टिप्पणी?</p>	
81.	<p>क्या निरीक्षण के दिन पर महिला संवासियों को दिए गए खाने की क्वालिटी पर्याप्त थी या नहीं?</p>	
82.	<p>क्या निरीक्षण के दिन परोसे गए खाने की गुणवत्ता और मात्रा से महिला संवासी साधारणतया संतुष्ट प्रतीत होती थी या नहीं?</p>	
83.	<p>क्या निरीक्षण के दिन पर महिला संवासियों के लिए खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बर्तन और खाना परोसने/खाने के बर्तन साफ सुथरे थे या नहीं?</p>	
84.	<p>महिला संवासियों की रहन-सहन की दशा में और सुधार करने के लिए कारागार प्राधिकारियों द्वारा कोई योजना तैयार की गई है या नहीं और कारागार में गरिमामय जीवन सुरक्षित करने के लिए कोई प्रस्तावित समय-सीमा है या नहीं? (ब्यौरे अलग से संलग्न करें)</p>	

भाग V

अन्य निकायों जैसे कि न्यायिक, कार्यपालक, स्वास्थ्य प्राधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग द्वारा किए गए निरीक्षण के मुख्य निष्कर्षों के ब्यौरे

प्राधिकारी का नाम	निरीक्षण/दौर की तारीख	मुख्य विचार/सिफारिश	की गई कार्रवाई	टिप्पणी

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

